प्रेस-विज्ञप्ति **30.06.2018**

विषय: GST में निरिछण, छापे, जब्ती तथा गिरफ्तारी विषय पर आयोजित सत्र

महोदय,

दिनांक 30 जून, 2018 को **अपरान्ह 01:30 बजे** मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन, कानपुर चार्टर्ड एकाउंटेंटस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में जी.एस.टी. विषय पर सत्र का आयोजन किया गया जिसमें जी.एस.टी. के अंतर्गत "***Inspection, Search, Seizure and Arrest***" विषयों पर चर्चा की गयी।

राजस्व की प्राप्तियां किसी भी देश के हित के लिए शरीर में रीढ़ की हड्डी के समान है। कर के बिना किसी भी देश के अर्थव्यवस्था नहीं संभव है**,** किन्तु सरकार द्वारा एक सख्त व् पारदर्शी कर प्रणाली लागू किये जाने की अवश्यकता है। जिससे करदाताओं का भी उत्पीड़न न हो, राजस्व वसूली भी सुनिश्चित हो सके। GST नई कर व्यवस्था है सरकार द्वारा इसमें व्याप्त विसंगतियों एवं कानूनी खामियों को दूर किया जाना चाहिए। अधिवक्ताओं, चार्टर्ड अकाउन्टेंट, को सलाह दिया कि नए पेशेवर व्यक्तियों को अपने वरिष्ठों के साथ प्रशिक्षण लेना अतिआवश्यक है ताकि साथ में नए व्यक्तियों को सही व् अच्छी सलाह दे और सेवा कर सकें। वरिष्ठ व् कनिष्ठ वकीलों को भी आपस में सामंजस्य कर दूसरों के हितों के लिए चिंता करनी होगी, उक्त विचार जी.एस.टी. के अंतर्गत "***Inspection, Search, Seizure and Arrest***" विषयों पर आधारित सत्र में माननीय *जज श्री अशोक कुमार जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने व्यक्त किये*।

प्रपथम तकनीकी सत्र में GST का निरीछण, छापे, जब्ती व् गिरफ्तारी विषय पर उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, के कर विशेषज्ञ अधिवक्ता, श्री *राहुल अग्रवाल, ने* अपना व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए बताया कि GST में छापे मात्र अनुमान एवं संदेह के आधार पर अधिकारी नहीं डाल सकते है। छापे के पूर्व उनके साथ कर चोरी के पुख्ता विशवास करने योग्य साछ्य होने चाहिए। इन साछ्यों के आधार पर कोइ भी पुनः कारवाई जॉइंट कमिश्नर के आदेश पर होनी चाहिए या उनके समकछ किसी अधिकारी को अधिकार प्राप्त हो, तो यह कारवाई सक्रिय कर सकते है। छापे की सम्पूर्ण प्रक्रिया में व्यापारिक स्थल की तलाश के लिए अधिकारी के पास उसका परिचय-पत्र होना चाहिए, छापे की प्रक्रिया से पहले विभागीय अधिकारी की तालाशी यदि व्यापारी चाहे तो ले सकता है। निवास पर छापेमारी के दौरान एक महिला अधिकारी का होना आवश्यक है। छापे के समय पाया गया स्टॉक मात्र अनुमान पर बिना लिखा पढ़ी का नहीं माना जा सकता है, जब तक उसका सत्यापन अभिलेखों / बही-खातों से न किया गया हो। अघोषित स्टॉक जब्त किया सकता है। GST में कारोबारी स्टॉक जब्त करने का प्रावधान उचित नहीं है। आयकर एवं VAT कारोबारी स्टॉक जब्त करने के अधिकारी नहीं है। इस स्टॉक जब्ती अधिकार को सरकार को समाप्त करना चाहिए कारोबारी व्व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। क्योकि प्रोविजनल रीलिज भी अर्थदंड की धनराशी प्रतिबन्ध के साथ रिलीज किया जा रहा है। इस रिलीज का कोई औचित्य नहीं है। जब सरकार की राजस्व वसूली सुनिश्चित हो रही है तो अवमुक्ति के साथ बिक्री के लिए प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं है, इस नियम में संशोधन होना चाहिए। छापे के दौरान दूसरी सबसे बड़ी परेशानी है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क की तर्ज पर नियम व् शर्तों के तहत कमिश्नर की अनुमति से संभव है। छापे के समय गिरफ्तारी का कोई औचित्य नहीं है। तब तक अघोषित लिख-पढ़ी का निर्धारण संभव ही नहीं है। तब मात्र कर-अपवंचन की अवधारणा पर अनुमान लगाकर गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, यह नियम भी समाप्त होना चाहिए।

आयोजित सत्र में उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुए मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री बी.के. लाहोटी, ने GST लागू हुए 1 वर्ष व्यतीत हो चुके है किन्तु अभी भी GSTN Portal अभी भी सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है। सरकार द्वारा GST कानूनों में व्याप्त विसंगतियों एवं अनावश्यक औपचारिक बदलाव किये गए है किन्तु किये गए बदलाव अभी भी पर्याप्त नहीं है। रिवर्स चार्ज मेकेनिजम को अपंजीकृत खरीद पर सेवा में देय कर को पूर्ण रूप से समाप्त किये जाने की आवश्यकता है। GST रिटर्न के दाखिल करने में अभी भी असमंजस है। GSTR-1 व् GSTR-3B दाखिल हो रहे है जबकि GSTR 2 व् GSTR 3 के बारे में उसकी विकल्प की व्यवस्था अभी भी GST Council द्वारा नहीं की गयी इसको शिघ्रातीशीघ्र निर्धारित की जानी चाहिए।

सत्र का संचालन मर्चेंट्स चैम्बर की GST कमिटी के चेयरमैंन, अधिवक्ता संतोष गुप्ता ने किया व् धन्यवाद-प्रस्ताव KITBA के श्री अनिल साहू ने प्रस्तुत किया ।

मर्चेंट्स चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री बी.एम. गर्ग, डॉ.आई.एम. रोहतगी, श्री प्रेम मनोहर गुप्ता, श्री अतुल कनोडिया, श्री सुनील त्रिवेदी, KITBA के अध्यक्ष विशाल खन्ना, सचिव ज्ञान चंद गुप्ता एवं अवधेश मिश्रा, मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन, कानपुर चार्टर्ड एकाउंटेंटस सोसाइटी के सदस्यगण उपस्थित थे।

सधन्यवाद